

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत कालादेह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम  
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत कालादेह

प्रकरण सं. - 104/2007 रेवा

निर्णय दिनांक -1.06.2016

**अनवान**

- 1 कालु सिंह पिता मादू सिंह जाति रावत निवासी धोटी(चौडा), तहसील भीम जिला राजसमन्द ।
- 2 पप्पू सिंह पिता मादू सिंह जाति रावत निवासी धोटी(चौडा), तहसील भीम जिला राजसमन्द ।
- 3 तुलसी बाई पत्नी मादू सिंह जाति रावत निवासी धोटी(चौडा), तहसील भीम जिला राजसमन्द ।
- 4 भैरू सिंह पिता हुक्म सिंह नाबालिग जरिये माता सरंक्षण राधा पत्नी हुक्म सिंह जाति रावत निवासी धोटी(चौडा), तहसील भीम जिला राजसमन्द ।
- 5 राधा देवी पत्नी हुक्म सिंह जाति रावत निवासी धोटी(चौडा), तहसील भीम जिला राजसमन्द ।

—वादीगण

**बनाम**

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम जिला राजसमन्द ।
- 2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द ।

—प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 189 आर.टी.एक्ट**

मौजा पटवार हल्का कालादेह तहसील, भीम जिला राजसमन्द में निम्न वर्णित आराजीयात वादीगण के आधिपत्य में आई हुई है।


हाल आराजी नं.	रकबा	बिश्वा	किस्म
2244	4 बीघा	17 बिश्वा	बजड़
2451	4 बीघा	11 बिश्वा	बारानी 2

उक्त वर्णित आराजीयात के 1350 फसली के नम्बर निम्न है। :-

हाल आराजी नं.	गत आराजी नं.
2244	2194
2251	2222
	2227

उक्त वर्णित गत आराजीयात पर वादीगण के पूर्वज फता वल्द गोमा तथा डुंगा वल्द सुजा का हो उनके स्वामित्व में होकर निरन्तर वह पूर्वजों के समय से उपयोग करते चले आ रहे थे, तथा शान्ति पूर्वक उक्त वर्णित आराजीयात पर काश्त करते कराते चले आ रहे थे। तत्पश्चात् दयाला का उक्त भूमि का कब्जा हो उनके वारिस थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान करते चले आ रहे हैं, जैसा कि पुरानी खसरा गिरदावरीयों पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा रिकॉर्ड में दर्शाया हुआ है।

अतः वादी का वाद न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कालादेह मे पेश हुआ। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि के जवाब दावा अनुसार ग्राम सम्बूरिया के हाल खसरा नं. 2251 रकबा 11 विस्वा हाल अभिलेख में शिवयचक दर्ज होने से वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया ।

(  )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, भीम  
जिला-राजसमन्द